

न्यायालय तहसीलदार, ओसियां जिला जोधपुर

प्रार्थी

बनाम

पत्रावली पेश पटवारी
जोधपुर जिला तहसीलदार

सरकार जरिये पटवारी: 2025 2025

धारा 91, राजस्थान - राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत

मुकदमा संख्या- 512019

निर्णय दिनांक- 9/8/2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित।

मामले में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का 2025 2025 ने निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम 2025 2025 के ख. न. 920 रकबा 0.10 बिघा किस्म 2025 पर अनाधिकृत रूप से बिना इजाजत संवत् 2026 में 2025 ने अतिक्रमण कर लिया है। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान - राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूपा में नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जबाब में अप्रार्थी उक्त भूमि पर अपने हक का ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी को उक्त भूमि से अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने का निर्णय पारित किया जाता है। तथा अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि आईन्दा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावे। तथा उक्त भूमि का वार्षिक लगान रूपये 6/2 रुपा 2025 मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो वसूल हो।

तहसील राजस्व लेखाकार को वास्ते मां कायमी एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का / भू अ नि को वसूली हेतु एवं बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 9/8/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली इजराय मे दर्ज हो।

तहसीलदार
ओसियां

तहसीलदार, ओसियां
जिला-जोधपुर